कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क्र./निर्माण /2019/473/ सिस्टम टेन्डर नं. 52716 कोरबा, दिनांक 02/07/2019

द्वितीय ई–निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा (भवन) दिनांक 01.01.2015 एवं (विद्युत)दिनांक 01.07.2015, (सड़क) दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्युल अनुसार आयटम दरो पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रू में	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क 11 कोरबा जोन (नई बस्ती) में उद्यान का निर्माण कार्य।	113.65	85300/–	07 माह	वर्ग सी एवं प्रवर श्रेणी	19.07.2019 से ....

शर्तेः–

1. निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नही होगी।
3. इच्छुंक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार के किये गये कार्यो की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, आयकर प्रमाण पत्र/पेन नम्बर, **जी.एस.टी.** पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा, प्रशिक्षित यंत्री एवं उद्यानिकी में स्नातक नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड एवं धरोहर राशि का **स्केन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
4. निविदाकार का विगत तीन वित्तीय वर्षो में किसी भी वित्तीय वर्ष में इस प्रकार के कार्य के 50 प्रतिशत प्राक्कलन राशि अथवा अधिक का कार्य सम्पादन का अनुभव अनिवार्य है। कार्यपालन अभियंता एवं उच्च अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी शासकीय विभाग द्वारा अथवा किसी शासकीय उपकम/संस्था द्वारा जारी होना चाहिए।
5. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 5 प्रतिशत परफार्मेस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में से 03 वर्ष के लिए रोकी जावेगी।
6. जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे।
7. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
8. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का **1 प्रतिशत उपकर** के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
9. ईट से संबंधित निर्माण कार्यो में फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त लोहा का बिल एवं टेस्ट रिपोर्ट तथा प्रयुक्त सीमेंट का बिल संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफारमेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से **15 दिवस** के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
12. निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
13. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
15. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा से प्राप्त किये जा सकते है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)